

राजस्थान- सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/प्रीपीजी-2024/2024/36

दिनांक : 01/02/2024

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय:-राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.04.2020, दिनांक 28.06.2021, दिनांक 18.05.2022, दिनांक 16.08.2022 एवं दिनांक 05.04.2023 के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशालय के पत्रांक 20 दिनांक 19.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी रिमोट, डिफिकल्ट एवं ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों हेतु अधिसूचना दिनांक 14.04.2020, दिनांक 28.06.2021, दिनांक 18.05.2022, दिनांक 16.08.2022 एवं दिनांक 05.04.2023 में यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाना हो, इन्द्राज करने से रह गया हो अथवा हटाया जाना हो तो क्रमशः निम्न फार्म 'अ', 'ब' एवं 'स' में अंकित करते हुए दिनांक 29.01.2024 को सांय 05 बजे तक pgcellgaz2022@gmail.com पर अपलोड करवाये जाने हेतु लिखा गया था। लेकिन आज दिनांक तक अधिकतर जिलों द्वारा उक्त सूचना संबंधित मेल आईडी पर अपलोड नहीं करवाई गई है।

अतः पुनः लेख है कि उक्त वांछित सूचना दिनांक 09.02.2024 को सांय 05.00 बजे तक pgcellgaz2022@gmail.com पर अपलोड कराया जावे। नियत तिथि व समय पर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4. अधिसूचना में नए जोड़े जाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूचना

फॉर्म 'अ'

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	चिकित्सा संस्थान किस क्षेत्र में स्थित है (रिमोट/डिफिकल्ट/ग्रामीण)	विशेष विवरण

5. अधिसूचना में संशोधन किये जाने वाली चिकित्सा संस्थानों की सूचना


फॉर्म 'ब'

क्र.सं.	जारी की गयी अधिसूचना की सूची में क्र.सं.	सूची में अंकित नाम	संशोधित नाम

6. अधिसूचना से हटाये जाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूचना

फॉर्म 'स'

क्र.सं.	जारी की गयी अधिसूचना की सूची में क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	विशेष विवरण


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक : राजपत्रित/प्रीपीजी-2024/2024/

दिनांक : 01/02/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधिनस्थ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को उक्त सूचना फॉर्म 'अ', 'ब' एवं 'स' में अंकित कर निदेशालय को दिनांक 09.02.2024 सांय 05 बजे तक भिजवाये जाने हेतु अपने स्तर से पांबद करे।

4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारियों की ईमेल आईडी पर अपलोड करावे।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।